REGD. NO. D. L.-33004/99

# HRA an USUS The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i) PART II — Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਲਂ. 105] No. 105]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 13, 2007/फाल्गुन 22, 1928

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 13, 2007/PHALGUNA 22, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

(दीपस्तम्भ और दीपपोत महानिदेशालय)

### अधिसूचना

नोएडा, 5 मार्च, 2007

सा.का.नि. 195( अ ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दीपस्तम्भ एवं दीपपोत विभाग (अराजपत्रित तकनीकी पदों) भर्ती नियम, 1978 का जहां तक उनका संबंध किनष्ठ अभियंता (सिविल), किनष्ठ अभियंता (विद्युत) और किनष्ठ अभियंता (यांत्रिक) के पदों से हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, दीपस्तम्भ और दीपपोत महानिदेशालय में किनष्ठ अभियंता (सिविल/विद्युत/यांत्रिक) पदों पर भर्ती की पद्धित विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

- 1, **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—**(1) इन नियमों का सिक्षप्त नाम दीपस्तम्भ और दीपपोत महानिदेशालय कनिष्ठ अभियंता (सिविल/विद्युत/यांत्रिक) समूह "ग" भर्ती नियम, 2006 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
  - 2. लागू करना :—यह नियम संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 में निर्धारित पदों के संबंध में लागू होगा।
- 3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इस उपबंध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्टता के अनुसार होंगी।
  - 5. निरर्हता :-वह व्यक्ति,-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
  - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

862 GI/2007

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शक्ति:—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपाबद्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आयु-सीमा में छूट, आरक्षण और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

		- 0
अन	14	चा

पद का	पदों की	वर्गीकरण	वेतनमान		<del></del>	
नाम	संख्या संख्या	वनाकरण	वतनमान	चयन अथवा	सवा म जोड़ गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल	सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा
				अचयन	सेवा (पेंशन) नियम, 1972	
		>		पद	The second secon	
				44	के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	
			V		अनुज्ञय ह या नहा	
1	2	3	4	5	6	7
क्रनिष्ठ	38*	सामान्य	रुपये 5000-	लागू नहीं	लागू नहीं	आयु-सीमा वर्ष 21 से 32 के बीच
भभियता	(2006)	केन्द्रीय सेवा	150-8000			(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आंदेश
सिविल)	*कार्यभार	समूह "ग"	टिप्पणी :-पाँचवे .			अथवा अनुदेशों के अनुसार सरका
	के आधार पर	अराजपत्रित,	केन्द्रीय वेतन आयोग			सेवकों के मामले में 40 वर्ष तक क
	परिवर्तन किया	अननुसचिवीय	की सिफारिशों		E) (2)	शिथिल की जा सकती है।)
	जा सकता है।		के अनुसार 50%			टिप्पणी 1 :आयु-सीमा अवधारि
			स्वीकृत पदों को			करने के लिए निर्णायक तारीख भारत
			ज्येष्ठता के आधार	8		में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त कर
			पर रुपये 5000-			
*			150-8000 के वेतन-	2		के लिए नियत की गई ऑतिम तारीख
			मान में नियमित रूप		19	होगी (न कि वह अतिम तारीख ज
			से तीन वर्ष की सेवा			असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश
			के सम्पूर्ण करने पर	. 77		मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा;
					A Maria de la Compansión de la Compansió	सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य व
			रुपये 5500-175-			लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के
			9000 का उच्चतर			लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा
			वेतनमान प्रदान			जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान
			किया जाएगा।			और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप
						के अभ्यर्थियों के लिए विहित की
						गई है।)
						<del></del>
			100		7	टिप्पणी 2:-यदि नियुक्ति रोजगा
						कार्यालय के माध्यम से की जाती है
						तो आयु-सीमा अवधारित करने व
						लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम
		3.*				तारीख होगी जिस पर रोजगा
						कार्यालयों से नाम भेजने के लिए
						कहा गया है।

अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	े लिए	शैक्षि	ी भर्ती के लि कि अईताएं, ्होंगी या नहीं	प्रोन्ति के	यु ओर लिए	परिवीक्षा की उ कोई हो	भवधि, या
8	6		9	-		10	
सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा सि तीन वर्षों के अनुभव सहित अथवा सम	विल इंजीनियरिंग में डिप तुल्य अर्हता	लोमा	लागू नहीं			दो वर्ष	
भर्ती की पद्धितः भर्ती सीधे होगी य या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा त पद्धितयों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्र	था विभिन्न	प्रोन जिन	नित या प्रतिनि नसे प्रोन्नित य	युक्ति या अ प्रतिनियुक्ति	ामेलन द्वारा 1 अथवा अ	भर्ती की दशा में गमेलन किया जाए	वे श्रेणिय एगा
11			12				
सीधी भर्ती			लागू =	हीं			
4							
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उस	की संरचना					किन परिस्थितिय गिसे परामर्श कि	
13				Clien	14	ारा स परामश कि	या जाएगा
तमूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति तदस्य होंगे :					लागू नहीं		
निष्ह गाँ विभागाय प्रान्नात समिति गदस्य होंगे : 1. महानिदेशक दीपस्तम्भ और दीपर 2. निदेशक (सिविल) दीपस्तम्भ औ 3. एक बाहरी सदस्य जो अवर सिव	गेत महानिदेशालय र दीपपोत महानिदेशालय	-अध्य प -संदर्	य		लागू नहा		
ग्दस्य होंगे :  1. महानिदेशक दीपस्तम्भ और दीपर  2. निदेशक (सिविल) दीपस्तम्भ औ	गेत महानिदेशालय र दीपपोत महानिदेशालय	-अध्य प -संदस्	य		लागू नहा	7	

7

टिप्पणी: 2—यदि नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है तो आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8	9	10
विद्युत इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा तीन वर्षों के अनुभव सहित अथवा समतुल्य अर्हता	लागू नहीं	दो वर्ष
र म म अंदुरान राख्य अस्या सम्पुल्य अहता		
11	12	
सीधी भर्ती	लागू नहीं	

13		14	
समूह "ग" विभागीय प्रोन्ति समिति जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :		लागू नहीं	
<ol> <li>महानिदेशक दीपस्तम्भ और दीपपोत महानिदेशालय</li> </ol>	ं–अध्यक्ष		
2. निदेशक (इलै.) दीपस्तम्भ और दीपपोत महानिदेशालय	-सदस्य		
3. एक बाहरी सदस्य जो अवर सचिव के पट में जीने का न हो	E10.574 TO		

1	2	3	4	5	6	7
(यॉत्रिक)	1* (2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	रुपये 5000- 150-8000 टिप्पणी:—पाँचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के के अनुसार 50% स्वीकृति पदों को ज्येष्ट्रता के आधार पर रुपये 5000- 150-8000 के वेतन- मान में नियमित रूप से तीन वर्ष की'सेवा के सम्पूर्ण करने पर रुपये 5500-175- 9000 का उच्चतर वेतनमान प्रदान किया जाएगा।	लागू नहीं	लागू नहीं	आयु-सीमा वर्ष 21 से वर्ष 32 के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेश अथवा अनुदेशों के अनुसार सरकार कर्मचारी के मामले में 40 वर्ष तक व छूट) टिप्पणी : 1—आयु-सीमा अवधारि करने के लिए निर्णायक तारीख भार में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त कर के लिए नियत की गई ऑतेम तारीख होगी (न कि वह ऑतिम तारीख असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य व लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्ब जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान

	,		(7)
			के अभ्यर्थियों के लिए विहित
			गई है।)
		Ja Section 1	टिप्पणी 2 :-यदि नियुक्ति रो
			कार्यालय के माध्यम से की जा
		v.	तो आयु-सीमा अवधारित करन
			लिए निर्णायक तारीख वह अ
	*		तारीखं होगी जिस पर रोज
			कार्यालयों से नाम भेजने के
			कहा गया है।
			10
(8)	12.	(9)	(10)
यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिग्री	अथवा याँत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्ले	(१)	(10)
पाँत्रिक इंजीनियरिंग में डिग्री	अथवा यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लो अथवा समतुल्य अर्हता	(9) मा लागू नहीं	(10) दो वर्ष
याँत्रिक इंजीनियरिंग में डिग्री	अथवा यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लो अथवा समतुल्य अर्हता		
याँत्रिक इंजीनियरिंग में डिग्री तीन वर्षों के अनुभव सहित :	अथवा यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लो अथवा समतुल्य अर्हता		
पांत्रिक इंजीनियरिंग में डिग्री तीन वर्षों के अनुभव सहित व (11)	अथवा यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लो अथवा समतुल्य अर्हता	ोमा लागू नहीं	
पाँत्रिक इंजीनियरिंग में डिग्री ीन वर्षों के अनुभव सहित :	अथवा यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लो अथवा समतुल्य अर्हता	ोमा लागू नहीं (12)	
गोत्रिक इंजीनियरिंग में डिग्री गिन वर्षों के अनुभव सहित व (11)	अथवा यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लो अथवा समतुल्य अर्हता	ोमा लागू नहीं	
यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिग्री तीन वर्षों के अनुभव सहित व (11)	अथवा यात्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लो अथवा समतुल्य अर्हता	ोमा लागू नहीं (12)	
यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिग्री तीन वर्षों के अनुभव सहित व (11) सीधी भर्ती	अथवा समतुल्य अर्हता 13)	ोमा लागू नहीं (12)	दो वर्ष
पांत्रिक इंजीनियरिंग में डिग्री तीन वर्षों के अनुभव सहित ः (11) सीधी भर्ती (मूह "ग" विभागीय प्रोन्न	अथवा समतुल्य अर्हता 13)	ोमा लागू नहीं (12)	दो वर्ष (14)
यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिग्री तीन वर्षों के अनुभव सहित ः (11) सीधी भर्ती (मूह "ग" विभागीय प्रोन्न दस्य होंगे :	अथवा समतुल्य अर्हता 13) ति समिति जिसमें निम्नलिखित	ोमा लागू नहीं (12)	दो वर्ष
पांत्रिक इंजीनियरिंग में डिग्री तीन वर्षों के अनुभव सहित ः (11) सीधी भर्ती (मृह "ग" विभागीय प्रोन्न दस्य होंगे :	अथवा समतुल्य अर्हता  13)  ति समिति जिसमें निम्नलिखित और दीपपोत महानिदेशालय	मा लागू नहीं (12) लागू नहीं	दो वर्ष (14)
यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिग्री तीन वर्षों के अनुभव सहित ः (11) सीधी भर्ती (मूह "ग" विभागीय प्रोन्ना दस्य होंगे :	अथवा समतुल्य अर्हता 13)	ोमा लागू नहीं (12)	दो वर्ष (14)

[फा. सं. 3/1/2006-प्र. I] मनमोहन सिंह सुमन, महानिदेशक

## MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

(DIRECTORATE GENERAL OF LIGHTHOUSES AND LIGHTSHIPS)

#### NOTIFICATION

Noida, the 5th March, 2007

G.S.R. 195(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to the article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Lighthouses and Lightships (Non-Gazetted technical posts), Recruitment Rules, 1978, in so far as it relates to the posts of Junior Engineer (Civil), Junior Engineer (Electrical) and Junior Engineer (Mechanical), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Junior Engineer (Civil/Electrical/Mechanical) in the Directorate General of Lighthouses and Lightships, namely:—

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Directorate General of Lighthouses and Lightships Junior Engineer (Civil/Electrical/Mechanical) Group "C" posts Recruitment Rules, 2006.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

862GI/07-2

- 2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed thereto.
- 3. Number of posts, classification and scales of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- 4. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid

## 5. Disqualifications.—No person,—

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect
- 7. Saving.—Nothing in these rules shall affect relaxation of age limit, reservations, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this

			7	SCHEDULE	_	
Name of the post	Number of posts	Classi- fication	Scale of pay	Whether selection post or non- selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the C.C. S. (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
1 1:	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Junior Engineer (Civil)	38*(2006) *Subject to variation dependent on work-load.	Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non- Ministerial	Rs. 5000-150 8000 Note.—As per the recommendations of the Fifth Central Pay Commission 50% of the sanctioned posts on seniority basis will be granted higher scale of pay of Rs. 5500-175-9000 on completion of three years of regular service in the scale of Rs. 5000-150-8000.	Not applicable	Not applicable	Between 21 and 32 years (relaxable up to 40 years in case of Government Servants in accordance with the instructions of orders issued by the Central Government).  Note 1.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division
	3 - 1			100		of J and K State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and

Group 'C', Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :

Not applicable

(1) Director General of Lighthouses and Lightships

-Chairman

(2) Director (Civil), Directorate General of Lighthouses and Lightships

-Member

(3) An outside member not below the rank of Under Secretary

-Member

		111	E GAZETTE OF	INDIA: EXT	RAORDINARY	[Part II—Sec. 3(i)
1	2	3	4	5	6	7
1 2. Junior Engineer (Electrical)	3* (2006) '*Subject to variation dependent on work-load.	General Central Services, Group 'C', Non- Gazetted, Non-				Between 21 and 32 years (Relaxable up to 40 years in case of Government Servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).  Note 1.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).  Note 2.—In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age
						limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.
11			10 pm			
	8			9		10'
Degree in Elec	ctrical Enginee	ering	N	lot applicable		Two years
Diploma in Ele hree years ex Equivalent qu	Or	eering with				Tho years
		7			• .	
				1		
11					12	
Direct recruitm	nent			1	Not applicable	1

	13					14
Group 'C', De			Committee			Not applicable
<ol> <li>(1) Director General of Lighthouses and Lightships</li> <li>(2) Director (Electronics), Directorate General of Lighthouses and Lightships</li> <li>(3) An outside member not below the rank of</li> </ol>			—Chairn			
Under S	Secretary			Membe	er .	12
1	2	3	4	5	6	7
3. Junior Engineer (Mechanical)	1* (2006) *Subject to	General Central Services, Group 'C', Non- Gazetted, Non-	Rs. 5000-150 8000  Note.—As per the recommendations of the Fifth Central Pay Commission 50% of the sanctioned posts on seniority basis will be granted higher scale of pay of Rs. 5500-175-9000 on completion of three years of regular service in the scale of Rs. 5000-150-8000.	Not applicable	Not applicable	Between 21 and 32 years (relaxable up to 40 years in case of Government Servants in accordance with the instructions of orders issued by the Central Government).  Note 1.—The crucial dat for determining the agalimit shall be the closing date for receipt of applications from candidate in India (and not the closing date prescribe for those in Assan Maghalaya, Arunacha Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura Sikkim, Ladakh Division of J and K State, Lahau or Spiti District and Pang Sub-Division of Chamb District of Himacha Pradesh, Andaman an Nicobar Islands and Lakshadweep).
						Note 2.—In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial data for determining the agalimit shall be the last data upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.
8				9		10
Degree in Med		ineering		Not applicab	ble	Two years
Diploma in Mo three years exp Equivalent qua	perience Or	gineering wi	th			

	INDIA: EXTRAOR	DIVAKI	[PART II—SEC. 3
Direct recruitment		12	
	Not a	pplicable	-
13	30 AV		-
Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation) consisting of :			14
(1) Director General of Lighthouses and Lightships		Not appl	cable
(2) Director (Electronics), Directorate General of Lighthouses and Lightships	—Chairman		
(3) An outside member not below the rank of Under Secretary	-Member		
·	Member		

[F. No. 3/1/2006-Admn-I] M. M. SINGH SUMAN, Director General